आर्थिक सहभागिता, अधिकार एवं ग्रामीण महिलाएँ

डॉ. दीप्ति धामी,

समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

शोध सारांश

प्रस्तुत प्रपत्र में महिलाओं की आर्थिक भूमिका, आर्थिक विकास, आर्थिक निर्णयों में उनकी सहभागिता की उनकी इच्छा एवं उनके आर्थिक अधिकारों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में स्पष्ट हुआ है कि महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई है तथा साथ ही उनके सोचने व महसूस करने के ढंग में परिवर्तन हुआ है। महिलाएं सामाजिक जीवन में अपनी सक्रिय आर्थिक भूमिका को स्वीकार करने लगी है। पारिवारिक आर्थिक सहभागिता, बजट के संचालन, बचत निवेश, सम्पत्ति के क्रय–विक्रय में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई है। आर्थिक जीसन में उनकी सीमा तक सहभागिता है उसकी तुलना में अभिवृत्ति के स्तर पर महिलाएं अधिक जागरूक हैं और इस सन्दर्भ में महिलाएं सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं। महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए उनका आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना आवश्यक माना गया है। महत्वपूर्ण पारिवारिक आर्थिक निर्णयों में तथा परिवार की दिन–प्रदिन की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आर्थिक जीवन में सहभागिता तथा पारिवारिक आर्थिक निर्णयों में भागीदारी के संदर्भ में इस क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं की स्थिति गैर जनजातीय की तुलना में अधिक उच्च देखी गई।

मूल अवधारणाएँ – *आर्थिक सहभागिता, अधिकार, जनजातीय एवं गैर जनजाति महिलाएं।*

''भारतीय समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति'' से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार स्त्रियों की आर्थिक भूमिका और उसमें उनकी सहभागिता के अवसरों की आवश्यकता के विषय में चर्चा तीन तर्कों पर केन्द्रित रही है।

1– समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि जनता के सभी वर्ग इसमें पूरा–पूरा भाग लें और स्त्रियों की सम्भाव्यताओं के पूर्ण विकास के लिये अवसर उपलब्ध हो। स्त्रियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा का यह मूल सिद्वान्त है।

2– स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पराधीन होती है अतः उनका षोषण होता रहता है। इसे उनके लिये सामाजिक न्याय व सामाजिक अधिकारों की अस्वीकृति माना जा सकता है। इसलिए मार्क्स व गाँधी दोनों ने ही पुरूषों व महिलाओं की भूमिकाओं के बीच किये जा रहे भारी भेदभाव का विरोध किया था।

3– जनांकिकीय और सामाजिक परिवर्तनों की आधुनिक प्रवृत्तियों जैसे– विवाह की आयु में वृद्धि, अपेक्षाकृत छोटे परिवार, नगरीकरण, बढ़ती कीमतें, जीवन स्तर तथा निर्णय विधान में पहले से अधिक सहभागिता का आह्वान – ये सब स्त्रियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में आधारभूत परिवर्तन ला रहे है। सामाजिक

बाधाओं के कारण यदि इन चुनौतियों का सामना करने में स्त्रियां असमर्थ रही तो सामाजिक संकट उत्पन्न हो जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट (1970–90)[1] 'विश्व' में महिलाएँ' के निष्कर्षों के अनुसार, पिछले बीस सालों में 178 देशों की स्त्रियों की स्थिति में कोई क्रान्तिकारी अन्तर नहीं आया है। स्त्रियों का बहुत बड़ा वर्ग सत्ता, सम्पत्ति और आगे बढ़ने के अवसरों के मामले में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे के नागरिक जैसी है। निर्धनतम अफ्रीकी मुल्कों से लेकर अति सम्पन्न यूरोपीय देशों तक स्त्रियाँ हर क्षेत्र में उपेक्षा व भेदभाव का शिकार हैं। स्त्रियों के बढ़ते हुए आर्थिक क्रिया–कलापों का जो विरोध होता है उसके मूल तीन कारण हैं।

1. यह भय कि यदि श्रम बाजार में बड़े पैमाने पर महिलाओं का प्रवेश हो जाता है तो अमिट बेरोजगारी पैदा हो जायेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की न्यूनतम भूमिका के सिद्धान्त प्रतिपादित होने लगे। **2–** यह रूढ़िवादी विचार कि महिलाओं की भूमिकाएँ कुछ निश्चित सीमा रेखाओं को पार न करे। **3.** परम्परागत कृषि कार्य व घरेलू उद्योग से आधुनिक संगठित उद्योग और सेवाओं में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण परम्परागत श्रम विभाजन को नष्ट कर देता है। उत्पादन विधियों में प्रौद्योगिक परिवर्तन के कारण नवीन कौशल की आवश्यकता होती है। इस नवीन कौशल को अर्जित करने वाले अवसरों के अभाव में महिलाएं स्वयं को इस अर्थव्यवस्था में बेकार महसूस करती है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व शक्ति सम्पन्न बनाने के लिये 'राष्ट्रीय महिला शक्ति–सम्पन्नता नीति–2001[2] का निर्माण किया गया है जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है –

1. राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी तथा निर्णय स्तर तक समान पहुँच। **2.** महिलाओं की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति उनके सम्पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के माध्यम से वातावरण का सृजन। **3.** राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धान्तिक तथा वस्तुतः उपभोग। **4.**महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण। **5.** सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल, स्तरीय शिक्षा, जीविका तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक पदों इत्यादि में महिलाओं की समान पहुँच। **6.** पुरूषों व महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक रवैये और प्रथाओं में परिवर्तन। **7.** विकास प्रक्रिया में महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करना। **8.** महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा के सभी रूपों तथा भेदभावों का उन्मूलन। **9.** सिविल समाज, विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागीदारी बनाना तथा उसका सुदृढ़ीकरण।

विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि स्त्रियों की आर्थिक सहभागिता में कुल स्त्री जनसंख्या में महिला कामगारों की प्रतिशत्ता और कुल श्रम शक्ति के मुकाबले उनकी प्रतिशतता। इन दोनों में 1921 से ह्रास हो रहा है। स्त्री कामगारों की कुल संख्या 1911 में 4 करोड़ 18 लाख थी, जो घटकर 1971 में 3 करोड़ 12 लाख रह गयी। इसकी तुलना में कुल श्रम शक्ति में इसकी प्रतिशतता 1911 में 34.44 प्रतिशत थी जो घटकर 1971 में 17.35 प्रतिशत रह गयी। कुल स्त्री जनसंख्या में स्त्री कामगारों का प्रतिशत 1911 में 33.73 प्रतिशत था। जो कम होते–होते 1971 में 11.86 प्रतिशत रह गया। 'भारत में स्त्री कामगारों की स्थिति इस तथ्य से स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है कि 94.00 प्रतिशत स्त्रियां असंगठित क्षेत्र में और 6.00 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में 'स्त्री

कामगारों की प्रतिशत्ता में यह सर्वव्यापी ह्रास ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की आर्थिक सहभागिता के सम्बन्ध में एक और प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। विशेषकर स्वातन्त्रयोत्तर काल में गैर परम्परागत सेवाओं और व्यवसायों में स्त्रियों के उभरने के लिये जो प्रत्यक्ष कारण उत्तरदायी हैं वो निम्नलिखित हैं–

1. स्त्री शिक्षा का विकास और इसके फलस्वरूप शिक्षा तथा रोजगार के उन क्षेत्रो में उनका प्रवेश जिनमें अब तक पुरूषों का एकाधिकार था। **2.** रोजगार के मामलों में भेदभाव न बरतने और अवसर की समानता का संवैधानिक आश्वासन। **3.** बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण, शहरी मध्य वर्ग के बीच सवेतन रोजगार से सम्बन्धित सामाजिक मूल्यों में क्रमिक परिवर्तन।

प्रमिला कपूर ने भारतीय समाज की महिलाओं के सन्दर्भ में कहा है कि 'भारत में आज से कुछ साल पूर्व तक, उन महिलाओं को छोड़कर जिन्हें आर्थिक मजबूरी में कार्य करना पड़ा, अधिकाँश शिक्षित, विवाहित महिलायें लाभप्रद वैतनिक नौकरियों में नहीं आयी थी। लेकिन विगत कुछ वर्षो में खाका कुछ बदला है। अब न सिर्फ आर्थिक रूप से विवश महिलायें ही वैतनिक नौकरियाँ करने लगी हैं, बल्कि वे महिलायें भी काम करती है जो एक उपयोगी सामाजिक जीवन जीना चाहती है। वे सब समझने लगी है कि नौकरी करने से उन्हें एक व्यक्तिगत दर्जा तथा एक स्वतन्त्र सामाजिक अस्तित्व मिलता है। इसी के साथ उनके सोचने व महसूस करने का ढंग भी बदला है।[5] कोलम्बिया विश्वविद्यालय में ''नारी शक्ति'' पर आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए फेल्ड मैन ने कहा– ये अपेक्षाकृत एक नवीन घटना का प्रतिनिधित्व करती है– मध्यवर्ग की कामकाजी पत्नी अब तक एक सक्ष्म, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति है। उसकी नवीनता, उसकी संख्या और परिवार व समाज पर जिसकी वह एक अंश है, उसके गहरे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव अब निरीक्षण का तकाला रखते हैं।''[6]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर, उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उन्हें आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की ओर जाग्रत करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पिछले कुछ वर्षो से काफी प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय संविधान में स्त्री–पुरूष, अमीर–गरीब, शिक्षित–अशिक्षित सभी को समान सुरक्षा प्रदान की गई है। स्त्री–पुरूष सभी को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा समान श्रेणी देने की बात कही गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है। उत्तराखण्ड की पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं का जीवन अत्यधिक संघर्षो से घिरा है। उन्हें भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों, रीति–रिवाजों और पुरूष प्रधान समाज में विषम परिस्थितियों में अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इसका पश्चिम स्टाइफ (1911) की बंदोबस्ती रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है, जिसमें वह लिखता है, ''यहाँ की महिलाएँ जिन दुर्गम पहाड़ियों में चढ़कर अपने पशुओं के लिए घास एवं पेड़ों से पत्तियाँ काटती हैं, उन्हें देखकर ही मुझे भय लगता है। दिनभर खेतों में काम करना, परसा (खाद) फेंकना, नौलों

से पानी भरकर लाना, जानवरों की देखभाल करना और परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने के उपरान्त यहाँ के पुरूष उन के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते है और ये मनुष्यों के अधिकार से वंचित हैं।''

शोध अभिकल्प – प्रस्तुत शोध प्रपत्र अन्वेषणात्मक व वर्णनात्मक अभिकल्प पर आधारित है।

अध्ययन का उद्देश्य – जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों में ग्रामीण महिलाओं के सन्दर्भ में आर्थिक सहभागिता एवं अधिकारों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करना है।

समग्र एवं प्रतिदर्श

प्रस्तुत अध्ययन का समग्र भारत के उत्तरी राजय उत्तराखण्ड के कुमायूँ मण्डल में स्थित पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला एवं मुनस्यारी विकासखण्ड है। यह अध्ययन बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली पर आधारित है। धारचूला एवं मुनस्यारी विकासखण्ड में क्रमशः 72 व 231 कुल 303 गाँव हैं। निदर्श चयन के दूसरे स्तर पर इन दोनों विकासखण्डों के गाँवों का 10 प्रतिशत गाँवों का चयन किया गया और इस प्रकार क्रमशः 07 तथा 23 कुल 30 गाँवों का चयन किया गया। इन 30 गाँवों में धारचूला के 7 गाँवों में 601 तथा मुनस्यारी के 23 गाँवों में 1549 परिवार हैं। निदर्श चयन के तीसरे स्तर पर इन परिवारों में से 15 प्रतिशत का निदर्श के रूप में चयन किया गया और इस प्रकार धारचूला प्रखण्ड से 90 तथा मुनस्यारी प्रखण्ड से 232 कुल 322 परिवारों का निदर्श के रूप में चयन किया गया। इन चयनित परिवारों में 137 जनजातीय एवं 163 गैर जनजातीय कुल 300 महिलाएं उपलब्ध हुईं। अतः अन्तिम रूप से 300 महिलाएं ही अध्ययन की इकाई मानी गयी हैं। अध्ययन हेतु प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है साथ ही द्वैतीयक आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है।

महिलाओं के आर्थिक विकास व सशक्तिकरण के लिए उन्हें कुछ विशेष अवसर व आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं के विचारों को ज्ञात किया गया सम्बन्धित आँकड़ें सारणी संख्या –4.1 में दर्शाये गये हैं।

सारणी संख्या – 1.1

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में सहायक स्थितियों के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
नौकरी में आरक्षण की सुविधा।	23	16.79	69	42.33	92	30.67
स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा विशेष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।	71	51.82	23	14.11	94	31.33
समाज अवसरो की उपलब्धता।	38	27.74	67	41.10	105	35.00
बैंक से लोन की सुविधा	2	1.46	2	1.23	4	1.33
अन्य कोई	3	2.19	2	1.23	5	1.67
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

आँकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 35.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में समाज में अवसरों की उपलब्धता सबसे सहायक स्थिति है। लगभग 32.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि रोजगार के लिए महिलाओं को सरकार द्वारा विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा 30.00 प्रतिशत उत्तरदाता नौकरी में आरक्षण की सुविधा को महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानती हैं। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक आँकलन करने पर स्पष्ट होता है कि 51.82 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा विशेष वित्तीय प्रोत्साहन को सहायक स्थिति मानते हैं जबकि गैर जनजातीय उत्तरदाता सबसे अधिक सहायक स्थिति में नौकरी में आरक्षण की सुविधा को मानते हैं ऐसा मानने वाले उत्तरदाता 42.33 प्रतिशत हैं जनजातीय उत्तरदाताओं का स्वरोजगार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि वे घरेलू एवं कुटीर उद्योगों में अधिक संलग्न हैं।

महिलाओं के लिए 'कार्य' शब्द का कोई अर्थ, परिभाषा, सीमा निर्धारित नहीं है। यद्यपि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में 60.80 प्रतिशत तक योगदान देती हैं तथापि उनकी क्रियाओं को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अनुमानों के आधार पर महिलाओं के अभुगतानित श्रम की नगद वार्षिक लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर होती है जो विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पादन का एक–तिहाई भाग है।

सारणी संख्या – 1.2

गृहणी होने के साथ–साथ रोजगार करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	109	79.56	119	73.00	228	76.00
नहीं	11	8.03	13	7.98	24	8.00
कह नहीं सकते	17	12.41	31	19.02	48	16.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या 1.2 के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि गृहिणी होने के साथ–साथ रोजगार करने के संदर्भ में 76.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का 'हाँ' में प्रत्युत्तर देना उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। मात्र 8.00 प्रतिशत उत्तरदाता ही यह मानते हैं कि उन्हें गृहिणी होने के साथ–साथ रोजगार नहीं करना है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 79.56 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता तथा 73.00 प्रतिशत गैर जनजातीय उत्तरदाता 'हाँ' प्रत्युत्तर देते हुए स्वीकार करते हैं कि उन्हें गृहिणी होने के साथ–साथ रोजगार करना भी पसंद है। जनजातीय उत्तरदाता गैर जनजातीय उत्तरदाताओं की अपेक्षा रोजगार को अधिक महत्व देते हैं।

वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति उनके नागरिक अधिकारों, शिक्षा, विभिन्न पेशों तथा सेवाओं में महिलाओं की संख्या से नापी जा सकती है। परिवार में अनेक कानूनों के फलस्वरूप महिलाओं के आर्थिक अधिकार में

वृद्धि हुई है, कुछ सामाजिक कानूनों ने पारिवारिक संबंधों में भी महिलाओं की परिस्थिति को उर्द्धमुखी किया है। यह व्याख्यातित है, महिलाओं के उत्थान का दायित्व मुख्यतः महिलाओं पर ही है। आज महिलाओं की पारिवारिक और सामाजिक जीवन–शैली में अभूतपूर्व परिवर्तन घटित हुआ है, जिसके लिए महिलाओं की आर्थिक रूप से सुदृढ़ता भी कम उत्तरदायी नहीं है।

सारणी संख्या – 1.3

पारिवारिक जीवन के आर्थिक निर्णयों में सहभागिता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

आर्थिक निर्णय		**सम्पत्ति के क्रय में**			**महत्वपूर्ण घरेलू उपकरणों के क्रय में**			**आर्थिक बचत और निवेश में**		
		(क)			(ख)			(ग)		
पूर्ण सहभागिता	आवृत्ति	98	94	192	120	118	238	79	70	149
	प्रतिशत	71.53	57.67	64.0	87.59	72.39	79.33	57.66	42.94	49.67
आंशिक सहभागिता	आवृत्ति	38	60	98	16	42	58	57	77	134
	प्रतिशत	27.74	36.81	32.67	11.68	25.77	19.34	41.61	47.24	44.66
पूर्ण असहभागिता	आवृत्ति	1	9	10	1	3	4	1	16	17
	प्रतिशत	0.73	5.52	3.33	0.73	1.84	1.33	0.73	9.82	5.67
कुल योग	**आवृत्ति**	**137**	**163**	**300**	**137**	**163**	**300**	**137**	**163**	**300**
	प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

सारणी संख्या 1.3 के आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पारिवारिक जीवन के आर्थिक निर्णयों में सहभागिता के सन्दर्भ में, सम्पत्ति के क्रय में सर्वाधिक 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहभागिता को स्वीकार किया है। मात्र 3.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का सम्पत्ति के क्रय में उनकी पूर्णतः असहभागिता है। घरेलू उपकरणों के क्रय में पूर्ण सहभागिता को स्वीकार करने वाले उत्तरदाता 79.33 प्रतिशत हैं तथा 1.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी पूर्ण असहभागिता को व्यक्त किया है। आर्थिक बचत और निवेश में अधिकांशतः (49.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहभागिता को स्वीकार किया है। 5.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि आर्थिक बचत और निवेश में उनकी पूर्णतः असहभागिता है। जनजातीय और गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है। कि सम्पत्ति के क्रय में तथा महत्वपूर्ण घरेलू उपकरणों के क्रय में उत्तरदाताओं की निर्णयों में सहभागिता का स्तर अधिकतम है अतः दोनों ही समुदाय के उत्तरदाताओं की पूर्ण सहभागिता है, जबकि आर्थिक बचत ओर निवेश में अन्तर स्पष्ट होता है 57.66 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाताओं ने आर्थिक बचत और निवेश में पूर्णतः सहभागिताका र्निवहन किया है तथा 47.24 प्रतिशत गैर जनजातीय अधिक उत्तरदाता आर्थिक बचत और निवेश में अपनी आंशिक सहभागिता को मानते हैं। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पारिवारिक जीवन के आर्थिक निर्णयों में

सहभागिता के सन्दर्भ में जनजातीय अत्तरदाताओं की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक उच्च है।

महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना आज के सामाजिक परिवेश में महिलाओं आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। क्योंकि समाज के इस कमजोर (महिला) हिस्स के सुदृढ़ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है अतः समाज में सदियों से उपेक्षित अस आधे भाग को अधिकारों से सम्पन्न बनाकर, उनमें छिपी हुई समताओं को उजागर करके ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। महिलाओं के पास आय से अधिक साधन होंगे तो उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी उतना ही त्वरित गति से हो सकेगा। आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना/नौकरी करना आवश्यक है अध्ययन में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में उत्तरदाताओं के विचारों को जाँचने का प्रयत्न किया गया है।

सारणी संख्या – 1.4 (अ)

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	109	79.56	121	74.23	230	76.67
नहीं	10	7.30	9	5.52	19	6.33
कह नहीं सकते	18	13.14	33	20.25	51	17.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या 1.4 (अ) के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में 76.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का प्रत्युत्तर 'हाँ' है। 6.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता 'नहीं' है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक आंकलन करने पर स्पष्ट होता है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को दोनों ही समुदाय के उत्तरदाताओं ने आवश्यक माना है। 79.56 प्रतिशत जनजातीय तथा 74.23 प्रतिशत गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का 'हाँ' प्रत्युत्तर देना उनकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। इस संदर्भ में भी जनजातीय उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक हैं।

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को स्वीकारने के पश्चात् भी उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी पारिवारिक कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्वहन करें। इस सम्बन्ध में भी उत्तरदाताओंकी अभिवृत्तियों का विश्लेषण किया गया जिसका विवरण सारणी संख्या – 1.4 (ब) में स्पष्ट होता है।

सारणी संख्या – 1.4 (ब)

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा वरीयता क्रम में प्रस्तुत उचित कारणों से सम्बन्धित प्राप्तांको का विभाजन

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	प्राप्तांक	प्रतिशत	प्राप्तांक	प्रतिशत	प्राप्तांक	प्रतिशत
अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए	216	26.28	203	20.76	419	23.28
आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए	38	4.62	52	5.32	90	5.00
परिवार का सहयोग करने के लिए	277	33.70	342	34.97	619	34.39
अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए	185	22.57	242	24.74	427	23.72
पुरुषों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए	102	12.40	137	14.01	239	13.28
अन्य	4	0.49	2	0.20	6	0.33
कुल योग	**822**	**100.00**	**978**	**100.00**	**1800**	**100.00**

आँकड़ों से स्पष्ट है कि परिवार का सहयोग करने के लिए विकल्प को सर्वाधिक स्वीकार किया गया है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि इस मत को सर्वाधिक 34.39 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 'स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए' तथा 'अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए' इन दो विचारों को भी महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इन दोनों विचारों को क्रमशः 23.28 तथा 23.72 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। जनजाति व गैर जनजाति का विश्लेषण करें तो दोनों ही समुदाय के सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने 'परिवार का सहयोग करने के लिए' विकल्प को सर्वाधिक प्राप्तांक दिये हैं। इनका प्रतिशत क्रमशः 33.70 व 34.97 प्रतिशत है। इसके बाद जनजातीय में द्वितीय स्थान 'अपने आप को आत्म निर्भर बनाने' के लिए विकल्प को दिया गया है। जनजातीय में तृतीय स्थान 'अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए' विकल्प को दिया गया है। गैर जनजाति में 'अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए' विकल्प को द्वितीय व 'अपने को आत्म निर्भर बनाने के लिए' विकल्प को तृतीय स्तर पर प्राप्तांक मिले हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक स्वतंत्रता को महिलाएं पर्याप्त रूप से महत्व देने लगी हैं। ओर घर से बाहर निकलकर कार्य करने की बात को स्वीकार करना महिलाओं के क्रमशः प्रगतिशील हो रहे दृष्टिकोण का परिचायक है।

सारणी संख्या – 1.5 (क)

''आर्थिक रुप से बचत को आप किस सीमा तक उपयोगी मानती है?'' प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पूर्ण रुप से	75	54.74	68	41.72	143	47.67
आंशिक रुप से	58	42.34	87	53.37	145	48.33
बिल्कुल नहीं	4	2.92	8	4.91	12	4.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

''आर्थिक रूप से बचत को आप किस सीमा तक उपयोगी मानती हैं ?'' प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर ज्ञात करने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता आर्थिक रूप से बचत को उपोगी मानते हैं। इस संदर्भ में पूर्ण रूप से एवं आंशिक रूप से बचत को उपयोगी मानने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत लगभग समान है जो कि क्रमशः 47.67 एवं 48.33 प्रतिशत है। जनजातीय और गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक आंकलन करने पर ज्ञात होता है कि गैर जनजातीय उत्तरदाता (41.72 प्रतिशत) की तुलना में उच्च हैं। स्पष्ट है कि बचत के सन्दर्भ में भी जनजातीय उत्तरदाता अधिक जागरूक हैं।

यद्यपि दोनों समुदायों में अधिकांश उत्तरदाता बचत करने को पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोगी मानते हैं परन्तु दोनों के प्रत्युत्तरों में यह अन्तर देखा गया कि जनजातिय उत्तरदाता में बचत पूर्ण रूप से उपयोगी मानने वालों का प्रतिशत (54.74) 'अधिक' या 'कम' कुछ न कुछ बचत अवश्य करते हैं।

सारणी संख्या – 1.5 (ख)

महिलाओं द्वारा बचत किये जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
अधिक	30	21.90	48	29.45	78	26.00
कम	95	69.34	94	57.67	189	63.00
बिल्कुल नही	12	8.76	21	12.88	33	11.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

महिलाओं द्वारा बचत किये जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर से ज्ञात होता है कि अधिकांशतः (63.00 प्रतिशत) उत्तरदाता 'कम' बचत कर पाते हैं। 26.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने

स्वीकार किया है कि वे अधिक बचत कर पाते हैं। 11.00 प्रतिशत उत्तरदाता बिल्कुल भी बचत नहीं कर पाते हैं ।जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि 69.34 प्रतिशत जनजातीय तथा 57.67 प्रतिशत गैर जनजातीय उत्तरदाता 'कम' बचत कर पाते हैं।

सारणी संख्या– 1.5 (ख) के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है यद्यपि महिलाएं बचत करने को उपयोगी मानती हैं परन्तु उनमें से 'अधिक' बचत करने वालों का प्रतिशत इसलिए कम है क्योंकि कुल मिलाकर इस क्षेत्र के लोगों की नकद आमदनी के संदर्भ में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है परन्तु फिर भी यह सकारात्मक स्थिति देखी गई कि कुल 69.00 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो कि 'अधिक' या 'कम' कुछ न कुछ बचत अवश्य करते हैं।

सारणी संख्या – 1.5 (ग)

बचत के माध्यम के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
आभूषण	174	21.17	199	20.35	373	20.72
बैंक	268	32.60	282	28.83	550	30.56
पोस्ट ऑफिस	236	28.71	236	24.13	472	26.22
घर में रखते है,	128	15.57	233	23.82	361	20.06
अन्य	16	1.95	28	2.87	44	2.44

बचत के महत्व को वर्तमान समय में गृहिणी होने के नाते महिलाएं समझने लगी हैं। बहुत अधिक न सही कम मात्रा में बचत के माध्यमों को उनके द्वारा अपनाया जाता है। इस तथ्य का विश्लेषण सारणी संख्या 4.5 (ग) में किया गया है। प्राथमिकता के क्रम में चयनित तीन विकल्पों व उनसे सम्बन्धित प्राप्तांकों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं ने अपने कुल वरीयताओं में 'बैंक' को बचत का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना है। इस विकल्प को सर्वाधिक 30. 56 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। कुल वरीयताओं में द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्थान 'पोस्ट ऑफिस' 'आभूषण' व 'घर में रखने' का दिया गया। इनके प्राप्तांको का प्रतिशत क्रमशः 26.22 व 20.72 तथा 20.06 है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने से स्पष्ट हुआ है कि दोनों ही समुदायों में बैंक, पोस्ट आफिस व आभूषण को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर प्राप्तांक प्राप्त हैं।

विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि यद्यपि अधिकांश उत्तरदाता बैंक व पोस्ट ऑफिस को बचत का उससे उपयुक्त साधन मानते हैं परन्तु साथ ही आभूषण के रूप में बचत किये जाना उनकी स्त्रीयोचित मानसिकता को दर्शाता है। अनौपचारिक वार्तालाप से पता चला कि एक ओर सोने की कीमतों के बढ़ने के कारण तथा साथ ही आभूषणों की 'स्त्रीधन' के रूप में स्वीकार्यता के कारण वे प्रायः थोड़ा–थोड़ा धन बचाकर उससे आभूषण बनवा लेती हैं। महिलाओं के आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के

लिए अनिवार्य है उनकी आर्थिक आत्म निर्भता समानता एवं सुदृढ़ता। महिलाओं को समाज का कमजोर वर्ग माना जाता है। उनका कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित रखा गया, तथा प्रायः घर के आर्थिक प्रबन्धन की जिम्मेदारी पुरूषों की मानी गयी। ऐसी स्थिति में महिला, जो आर्थिक रूप से पुरूष पर निर्भर थी, पुरूष और समाज के शोषण की शिकार बनी, परन्तु आधुनिक समय में महिलाएं रोजगार करने लगी हैं। इसके बावजूद भी महिलाएं परिवार में घरेलू बजट की व्यवस्था का निर्णय लने में पूर्ण सक्ष्म नहीं होती है इस संदर्भ में अध्ययन में सम्मिलित महिलाओं की स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया गया।

सारणी संख्या – 1.6

परिवार में घरेलू बजट की व्यवस्था करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
आप स्वंय	31	22.63	20	12.27	51	17.00
आपके पति	17	12.41	38	23.31	55	18.33
आप दोनो सयुक्त रुप से	65	47.44	75	46.01	140	46.67
सास–ससुर	14	10.22	26	15.95	40	13.33
अन्य	10	7.30	4	2.46	14	4.67
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या 1.6 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 46.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि उनके परिवार में पति–पत्नी संयुक्त रूप से परिवार में घरेलू बजट की व्यवस्था करते हैं। केवल 17.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने घरेलू बजट की व्यवस्था के लिए स्वयं निर्णय लेने की बात स्वीकार की है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं की तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि परिवार के घरेलू बजट की व्यवस्था पति–पत्नी दोनों संयुक्त रूप से करते हैं। ऐसा मानने वाले उत्तरदाता लगभग समान क्रमशः 47.44 प्रतिशत व 46.01 प्रतिशत हैं। स्वयं निर्णय लेने के सन्दर्भ में जनजातीय उत्तरदाताओं का स्थान उच्च है। इस सन्दर्भ में इसे सकारात्मक कहा जा सकता है कि घरेलू बजट सम्बन्धी आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है तथा अधिकांश महिलाएं स्वयं या अपने पति के साथ मिलकर परिवार के घरेलू बजट की व्यवस्था कर रही है। इस संदर्भ में भी जनजातीय महिलाओं की स्थिति इसलिए श्रेष्ठ मानी जा सकती है कि उनमें घरेलू बजट निर्धारण में स्वयं निर्णय लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत गैर जनजातीय की तुलना में पर्याप्त रूप से उच्च है।

सारणी संख्या – 1.7

परिवार में आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यो को करने के लिए महिलाओं की सहभागिता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत अधिक	41	29.93	14	8.59	55	18.33
अधिक	67	48.90	56	34.36	123	41.00
सामान्य	24	17.52	39	23.93	63	21.00
कम	3	2.19	45	9.20	48	16.00
बिल्कुल नहीं	2	1.46	9	5.52	11	3.67
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 1.7 के आँकलन करने पर स्पष्ट होता है कि 59.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि परिवार में आर्थिक और व्यवसायिक कार्य करने के लिए उनकी 'बहुत अधिक व अधिक' सहभागिता रहती है। 3.67 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार के आर्थिक व्यवसायिक कार्यो में बिल्कुल सहभागिता नहीं रखता हैं। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विवेचन करने से स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश (78.83 प्रतिशत) जनजातीय उत्तरदाताओं का मत है कि परिवार में आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यो को करने के लिए उनकी 'बहुत अधिक' व 'अधिक' सहभागिता रहती है, गैर जनजातीय समुदाय में केवल 43.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं की ही ऐसी सहभागिता है।

सारणी संख्या– 1.8

''क्या आपके परिवार में आपको वही स्थान प्राप्त है जो परिवार के पुरुषों को प्राप्त है।'' प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	112	81.75	89	54.60	201	67.00
नहीं	1	0.73	15	9.20	16	5.33
कह नहीं सकते	24	17.52	59	36.20	83	27.67
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या 1.8 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनकी परिवार में स्थिति 'पुरूषों के समान' है। मात्र 5.33 प्रतिशत उत्तरदाता ही मानते हैं कि

उन्हें पुरूषों के बराबर स्थान प्राप्त नहीं है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करने पर उल्लेखित होता है कि 81.75 प्रतिशत जनजातीय तथा 55.60 प्रतिशत गैर जनजातीय उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि उनके परिवार में उनका स्थान पुरूषों के समान है। अध्ययन में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि उनको अपने परिवार में पुरूषों के समान स्थान प्राप्त है अथवा नहीं। आँकड़ो से स्पष्ट है कि इस सन्दर्भ में जनजातीय उत्तरदाताओं की स्थिति अधिक श्रेष्ठ है।

सारणी संख्या – 1.9

माता–पिता की सम्पत्ति पर अधिकार रखने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	23	16.79	36	22.08	59	19.67
नहीं	69	50.36	62	38.04	131	43.66
कह नहीं सकते	45	32.85	65	39.88	110	36.67
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या– 1.9 के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि 'अधिकांश' (43.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का माता–पिता की संपत्ति पर कोई भी अधिकार 'नहीं' है। 36.67 प्रतिशत उत्तरदाता माता–पिता की संपत्ति पर अधिकार के सन्दर्भ में 'कह नहीं सकते' प्रत्युत्तर देते हुये मानते हैं कि उनका माता–पिता की संपत्ति पर अधिकार है। वर्तमान समय में कानूनी व्यवस्थाओं के द्वारा स्त्रियों को सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान किया गया है परन्तु व्यवहार में आज भी परिवारों में लड़कियों को अचल सम्पत्ति में बहुत कम अधिकार प्राप्त है प्रस्तुत अध्ययन में भी यह तथ्य प्रमाणित हुआ है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विवेचन करने पर स्पष्ट होता है कि 50.36 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाताओं का विचार है कि उन्हें माता–पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि अधिकांश (39.88 प्रतिशत) गैर जनजातीय उत्तरदाता माता–पिता की संपत्ति पर अधिकार के सन्दर्भ में 'कह नहीं सकते' प्रत्युत्तर देते हैं। इस सन्दर्भ में उनसे खुली वार्ता के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि जिन महिलाओं का माता–पिता की संपत्ति पर अधिकार है वे महिलाएं या तो इकलौती संतान हैं या फिर पति या परिवार के सदस्यों द्वारा घर से निकाल दी गयी हैं पैतृक सम्पत्ति में बराबर की अधिकारी होने के पश्चात् भी इस संदर्भ में उनकी जानकारी अधिक विकसित नहीं है। अतः वे 'कह नहीं सकते' में उत्तर देते हैं। इस विषय के सन्दर्भ में जनजातीय उत्तरदाताओं की स्थिति गैर जनजातीय की तुलना में कमजोर देखी गई।

पर्वतीय समाजों में पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन महिलाएं ही कर रही हैं। सीमित साधनों में भी गृह प्रबंध की कुशलता पहाड़ की महिलाओं में है। वर्तमान में स्वयं–सहायता समूह के मयध्यम से बचत तथा विविध घरेलू उद्योगों के माध्यम से महिलाएं स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही हैं। प्रायः

यह देखा गया है कि आर्थिक रूप से घर अर्जित करने पर भी स्वयं द्वारा अर्जित धन को खर्च करने को स्वतंत्र नहीं हैं। इस सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की स्थिति को ज्ञात किया गया।

सारणी संख्या – 1.10

स्वंय द्वारा अर्जित धन को खर्च करने की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पूर्ण रुप से	56	40.88	39	23.93	95	31.67
आंशिक रुप से	72	52.55	115	70.55	187	62.33
बिल्कुल नहीं	9	6.57	9	5.52	18	6.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 62.33 प्रतिशत महिलाएं स्वयं द्वारा अर्जित धन को खर्च करने में 'आंशिक रूप से' ही स्वतंत्र हैं। 31.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि वे स्वयं द्वारा अर्जित धन को खर्च करने में स्वतंत्र हैं। गैर जनजातीय व जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि 52.55 प्रतिशत जनजातीय व 70.55 प्रतिशत गैर जनजातीय अधिकतर उत्तरदाता स्वयं द्वारा अर्जित धन को खर्च करने में आंशिक रूप से ही स्वतंत्र हैं 40.88 प्रतिशत जनजातीय एवं 23.93 प्रतिशत गैर जनजातीय उत्तरदाता स्वयं द्वारा अर्जित धन को 'पूर्ण रूप से' खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्पष्ट है कि इस विषय में जनजातीय उत्तरदाओं की स्थिति अधिक अच्छी है।

पर्वतीय नारियों का जीवन बड़ा कठोर व संघर्षपूर्ण है। उन्हें गृहस्थी के साथ–साथ कृषि एवं पशुपालन का कार्य पूरी तरह से संभालना पड़ता है। उन्हें गर्मियों की तपती धूप, बरसात तथा कड़ाके की सर्दी व बर्फीली हवाओं के बीच भी घर और बाहर के सभी कार्य सम्पन्न करने पड़ते हैं। सुबह से रात तक के शारीरिक श्रम से वे कभी घबराती नहीं हैं। पारिवारिक कार्यों में ही उनका अधिकांश समय व्यतीत होता है।

सारणी संख्या–1.11

पारिवारिक कार्यो को करने में समय देने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
4 घण्टे से कम	11	8.03	1	0.61	12	4.0
4 से 8 घण्टे	47	34.31	40	24.54	87	29.0
8 से 12 घण्टे	68	49.6	105	64.42	173	57.67
12 घण्टे से अधिक	11	8.03	17	10.43	28	9.33
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 1.11 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 57.67 प्रतिशत अधिकतर उत्तरदाता 8 से 12 घण्टे तक पारिवारिक कार्यो को करते हैं। मात्र 4.00 प्रतिशत उत्तरदाता ही मानते हैं कि पारिवारिक कार्यों को करने में उनका समय चार घण्टे से कम लगता है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांश (49.6 प्रतिशत) जनजातीय व (64.42 प्रतिशत) गैर जनजातीय उत्तरदाता '8 से 12 घण्टे' तक पारिवारिक कार्यों को करते हैं। जनजातीय उत्तरदाताओं की तुलना में गैर जनजातीय उत्तरदाताओं को अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है।

जहाँ कहीं भी महिलाओं ने पुरूषों के साथ अर्थोपार्जन और घर के चलाने में हिस्सेदारी निभायी है, वहाँ उनकी सामाजिक प्रस्थिति प्रायः पुरूषों के समान रही है। परिवार व समाज में आर्थिक रूप से स्वतंत्र व रोजगाररत् महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाता है अध्ययन में भी इस तथ्य को जाँचने का प्रयत्न किया गया है।

सारणी संख्या – 1.12

परिवार/समाज में आर्थिक रुप से स्वतन्त्र महिला को सामान्य गृहणी की तुलना में अधिक महत्व दिये जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप		परिवार में			समाज में		
		जन जातीय	गैर जन जातीय	कुल उत्तर–दाता	जन जातीय	गैर जन जातीय	कुल उत्तर–दाता
हाँ	आवृत्ति	92	105	197	98	116	214
	प्रतिशत	67.15	64.42	65.67	71.53	71.16	71.33
नही	आवृत्ति	9	6	15	9	5	14
	प्रतिशत	6.57	3.68	5.00	6.57	3.07	4.67
कह नहीं	आवृत्ति	36	52	88	30	42	72

सकते	प्रतिशत	26.28	31.90	29.33	21.90	25.77	24.00
कुल योग	**आवृत्ति**	**137**	**163**	**300**	**137**	**163**	**300**
	प्रतिशत	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

सारणी संख्या– 1.12 का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 65.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला को सामान्य गृहिणी की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। 71.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हाँ' प्रत्युत्तर देते हुये स्वीकार किया है कि समाज में आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला को सामान्य गृहिणी की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। जनजातीय एवं गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट हुआ है कि दोनों ही समुदाय में परिवार/समाज में आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला को सामान्य गृहिणी की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। स्पष्ट है कि वर्तमान समय में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है तथा साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को सामाजिक–पारिवारिक जीवन में अधिक प्रतिष्ठित स्थान भी प्रदान कर रही है।

आधुनिक समाजों में अर्जित प्रस्थिति की अवधारणा आर्थिक दशाओं, संपत्ति के संचय, व्यक्तिगत प्रयत्न, व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता आदि से सम्बन्धित है। महिलाएं शिक्षा, व्यवसाय, पद और प्रतिष्ठा के आधार पर अपनी अर्जित स्थिति को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करने लगी है। पारिवारिक आर्थिक क्रियाकलापों सम्बन्धी विचार–विमर्श में सहभागिता की स्थिति भी महिलाओं की पारिवारिक प्रस्थिति का परिचायक होती है। इस सन्दर्भ के अध्ययन में सम्मिलित महिलाओं की स्थिति को ज्ञात किया गया है।

सारणी संख्या–1.13

परिवार में आर्थिक क्रियाकलापों सम्बन्धी विचार–विमर्शो में भाग लेने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	**जनजातीय**		**गैर जनजातीय**		**कुल उत्तरदाता**	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हमेशा	79	57.66	84	51.53	163	54.33
कभी–कभी	56	40.88	74	45.40	130	43.33
कभी नहीं	2	1.46	5	3.07	7	2.34
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या– 1.13 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि 54.33 प्रतिशत उत्तरदाता 'हमेशा' ही परिवार के आर्थिक क्रियाकलापों सम्बन्धी विचार विमर्शो में भाग लेते हैं। केवल 2.34 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार के आर्थिक क्रियाकलापों सम्बन्धी विचार विमर्श में कभी भाग लेते हैं। जनजातीय एव गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि जनजातीय व गैर जनजातीय दोनों ही समुदाय के 95.00 प्रतिशत से भी अधिक उत्तरदाता पारिवारिक आर्थिक विमर्श में

'हमेशा' या 'कभी–कभी' सहभागिता अवश्य रखते हैं। स्पष्ट है कि पारिवारिक आर्थिक निर्णयों में अब महिलाओं के भी पर्याप्त हिस्सेदारी प्राप्त हो रही है, जो कि उनकी अच्छी प्रस्थिति का सूचक है। अतीत में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की बहुत कम स्वीकार्यता थी। पारम्परिक श्रम विभाजन की व्यवस्था में स्त्रियों व पुरूषों में कार्यो का विभाजन इस रूप में था कि पुरूष धन के बाहर के कार्यो व आर्थिक उपार्जन में संलग्न होते थे।

घर की सम्पूर्ण आन्तरिक व्यवस्था का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता था। परन्तु धीरे–धीरे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा उनके द्वारा वैतनिक कार्यो के लिए था। महिलाओं के बाहर जाने को धीरे–धीरे स्वीकार किया जाने लगा है।

सारणी संख्या– 1.14

आर्थिक स्वतन्त्रता हेतु परिवार/समाज में प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप		विवाह से पूर्व (अ)			विवाह के पश्चात् (ब)		
पूर्ण रुप से	आवृत्ति	60	41	101	79	56	135
	प्रतिशत	43.80	25.15	33.67	57.66	34.36	45.00
आंशिक रुप से	आवृत्ति	70	101	171	50	92	142
	प्रतिशत	51.09	61.96	57.0	36.50	56.44	47.33
बिल्कुल नहीं	आवृत्ति	7	21	28	8	15	23
	प्रतिशत	5.11	12.89	9.33	5.84	9.20	7.67
कुल योग	**आवृत्ति**	**137**	**163**	**300**	**137**	**163**	**300**
	प्रतिशत	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

सारणी संख्या – 1.14 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि धीरे–धीरे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता हेतु प्रोत्साहन मिलने लगा है। और आश्चर्यजनक रूप से यह भी देख गया कि महिलाओं को आज इस प्रकार का प्रोत्साहन विवाह के पश्चात् अधिक प्राप्त हो रहा है जहाँ 33.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि उन्हें विवाह के पूर्व आर्थिक स्वतंत्रता हेतु पूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त था वहीं विवाह के पश्चात् पूर्ण प्रोत्साहन की बात स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 45.00 था इस सम्बन्ध में बिल्कुल भी प्रोत्साहन न मिलने की बात स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत बहुत कम है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि इस संदर्भ में विवाह से पूर्व व विवाह के पश्चात् पूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त करने वालों में जनजातीय उत्तरदाताओं का प्रतिशत पर्याप्त रूप से उच्च है। स्पष्ट है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की परिवार व समाज में स्वीकार्यता जनजातीय समाजों में अधिक है। अनौपचारिक समाजों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता पुरानी परम्परा है जबकि गैर जनजातीय समुदाय परिवार की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देने लगे हैं।

''स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में आपके पति के क्या विचार हैं ?'' इस प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर जानने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांश 58.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पति यह विचार रखते हैं कि औरतों को 'नौकरी व घर–परिवार साथ–साथ संभालना चाहिए।' 18.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पति मानते हैं कि औरतों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। घर–परिवार संभालना चाहिए।

सारणी संख्या – 1.15

''स्त्री की आर्थिक स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में आपके पति के क्या विचार है?'' प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
औरतों को नौकरी नही करनी चाहिए, घर परिवार सम्भालना चाहिए	22	16.06	34	20.86	56	18.67
औरतों को नौकरी व घर परिवार साथ–साथ सम्भालना चाहिए	74	54.01	102	62.58	176	58.66
नौकरी पेशा औरत को पति/ परिवार से सहयोग मिलना चाहिए	41	29.93	27	16.56	68	22.67
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि 54.01 प्रतिशत जनजातीय व 62.58 प्रतिशत गैर जनजातीय उत्तरदाताओं के पति स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता के सन्दर्भ में 'औरतों को नौकरी व परिवार साथ–साथ संभालना चाहिए' इय विचार रखते हैं। दोनों ही समुदाय के अधिकतर उत्तरदाताओं का मत है कि औरतों को नौकरी, घर व परिवार साथ–साथ संभालना चाहिए। परन्तु यहाँ एक स्पष्ट अन्तर यह दिखाई दिया कि नौकरी पेशा औरत को पति/परिवार का सहयोग मिलना चाहिए, ऐसा विचार रखने वाल जनजातीय उत्तरदाताओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत उच्च है। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता की स्वीकार्यता बहुत अधिक बढ़ी है, परन्तु घर/परिवार को अभी भी उन्हीं की मुख्य जिम्मेदारी समझा जाता है।

पर्वतीय ग्रामीण समाजों में महिलाएं आर्थिक व्यवस्था की मुख्य आधार मानी जाती है। इस समाज में पुरूष वर्ग महिलाओं का कार्य नहीं करते जबकि महिलाएं पुरूषों द्वारा किये जाने वाले अधिकांश कार्य करती हैं। हल की जुताई को छोड़कर कृषि के सभी कार्य, कताई–बुनाई आदि कार्य महिलाओं द्वारा किये जाते हैं। भारत में कृषि में संलग्न श्रम–शक्ति का 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है और वे भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सारणी संख्या – 1.16

महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न विचारों के प्रति उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
कृषि	5	3.65	99	60.74	104	34.67
घरेलू व कुटिर उद्योग	58	42.34	4	2.45	62	20.67
दोनों	62	45.25	36	22.09	98	32.66
अन्य कोई	12	8.76	24	14.72	36	12.00
कुल योग	**137**	**100**	**163**	**100**	**300**	**100**

सारणी संख्या – 1.17 जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि जनजातीय समुदाय के अधिकतर 45.25 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि व कुटीर उद्योग दोनों में ही संलग्न हैं। जबकि गैर जनजातीय समुदाय के 60.74 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में संलग्न हैं। जनजातीय समुदाय के उत्तरदाता कृषि कार्य के साथ–साथ कुटीर उद्योगों में अधिक संलग्न हैं। यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में जनजीाय समुदायों में घरेलू स्तर व कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है तथा लगभग सभी परिवारों में घरेलू कुटीर उद्यम कार्य किये जा रहे हैं। इस कार्य में जनजातीय समुदायों की महिलाओं की ही पूर्ण संलग्नता रहती है

जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं की तुलनात्मक विश्लेषण करने पर भी यही स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं की पारिवारिक भूमि या तो संयुक्त पारिवारिक भूमि है या पति के नाम पर है। स्त्रियों का आज भी भूमि पर मालिकाना अधिकार लगभग नहीं के बराबर है और इस सन्दर्भ में जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं की स्थिति लगभग समान है। आर्थिक सहभागिता के संदर्भ में जनजातीय व गैर जनजातीय महिलाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि आर्थिक निणर्यों की सहभागिता के संदर्भ में जनजातीय उत्तरदाताओं की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक उच्च है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता एक अनिवार्यता के रूप में स्वीकार की जाने लगी है इस संदर्भ में जनजातीय महिलाओं का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक है। बचत के संदर्भ में भी जनजातीय उत्तरदाता अधिक जागरूक हैं। परिवार के बजट संचालन, सम्पत्ति के क्रय–विक्रय, आर्थिक बचत एवं निवेश में सहभागिता के स्तर में वृद्धि हुई है। परिवार के आर्थिक–व्यवसायिक कार्यो में महिलाओं की पर्याप्त सहभागिता होने लगी है परन्तु जनजातीय महिलाओं की आर्थिक–व्यवसायिक कार्यों में अधिक सहभागिता होती है। जनजातीय महिलाएं गैर जनजातीय महिलाओं की तुलना में अपने द्वारा अर्जित धन को खर्च करने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं। महिलाओं के पारिवारिक कार्यों में संलग्नता की अवधि ज्ञात करने पर स्पष्ट होता है कि जनजातीय महिलाओं की तुलना में गैर जनजातीय महिलाओं पर कार्यभार अधिक रहता है। पारिवारिक भूमि पर मालिकाना अधिकार अभी भी महिलाओं को प्राप्त नहीं है।

सारांश रूप से यह कहा जा सकता है कि महिलाएं समाज में अपनी सक्रिय आर्थिक भूमिका को स्वीकार करने लगी हैं। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता एक अनिवार्यता के रूप में स्वीकार की जाने लगी है। पारिवारिक बजट के संचालन, आर्थिक बचत एवं निवेश, सम्पत्ति के क्रय–विक्रय में सहभागिता के स्तर में वृद्धि हुई है। आर्थिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जागरूकता का परिणाम है।

सन्दर्भ सूची

1. भारतीय समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति– राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का सार संक्षेप 1971–74 से उद्धत्, पृष्ठ–66–67, अलाईट पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1975।
2. वही पृष्ठ – 67।
3. वही पृष्ठ – 69।
4. वही पृष्ठ – 70।
5. Kapur, Promilla, 'Marriage and the Working Women in India', Vikas Publication, Delhi, 1970, P.4.
6. Feldman, Francis Homes, 'Work in the Lives of Married Woman', New York, Columbia University Press, National Manpower Councils, 1958, P. 94.